उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-2
संख्या- 28 /2016/9/6/35-आ-2/2007-70
लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उप धारा-(4) के खण्ड (ड.) के अधीन जनपद लखनऊ की जिला योजना समिति में सदस्यों के नामांकन से सम्बंधित शासनादेश संख्या- 13/2016/9/6/35-आ-2/2007-70 दिनांक 18 मई, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश द्वारा नामित सदस्य श्री अशोक यादव तथा श्री मुकेश शुक्ला के पते में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

	नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का पूर्व में अंकित पता	संशोधित पता
1	श्री अशोक यादव	एल-18/7, राजकीय सचिवालय कालोनी, बादशाहनगर, लखनऊ।	जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, वी-32 वकायान नेहरू इन्क्लेव, गोमतीनगर, लखनऊ।
2	श्री मुकेश शुक्ला	डालीबाग, लखनऊ।	महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, 489/5 डालीगंज, लखनऊ।

अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव, नियोजन।

संख्या: 28 /2016/9/6/35-आ-2/2007-70, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मा. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ ।
2- मा. मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव।
3- मा. उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के निजी सचिव।
4- मुख्य सचिव के निजी सचिव।
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
8- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ।
10- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
11- सम्बंधित व्यक्ति।
12- नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
13- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ. प्र. को इस आशय से प्रषित कि कृपया इसे गजट के आगामी अंश में प्रकाशित कर दें ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव, नियोजन ।

http://shodhadesh.up.nic.in